संख्या-219/2026/24के-2/22-3-2026-17(1068)/25

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 01 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी घिसनदास साधू पुत्र श्री वीरे लोध, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3549/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-19.01.2026), दिनांक 02.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी घिसनदास साधू पुत्र श्री वीरे लोध, जो ग्राम-साकिन ककरही हा0मु0 रामजानकी मन्दिर लखनापार, थाना-जोगिया उदयपुर, जनपद-सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। तांत्रिक साधना में बलि देने के इरादे से दिनांक 20.10.2010 को बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गड़ासा से मारकर 05 वर्ष के अभिमन्यु की हत्या कर दी तथा शव को नदी में फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-10/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर के आदेश दिनांक 25-07-2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.01.2026 तक 15 वर्ष, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 06 माह, 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 07-01-2026 तक बन्दी की आयु लगभग 51 वर्ष है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आने, संबंधित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की संभावना होने, बंदी अपराधी किस्म का व्यक्ति होने के दृष्टिगत भविष्य में भी अपराध किये जाने की संभावना होने, बगल में नेपाल राष्ट्र होने के कारण बंदी के फरार होने की प्रबल संभावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा में बंदी की समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा 05 वर्षीय अभिमन्यु की हत्या कर शव नदी में फेके जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी घिसनदास साधू पुत्र वीरे लोध को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी घिसनदास साधू (बंदी संख्या-30/2022) पुत्र श्री वीरे लोध, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-24(1)के-2/22-3-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।

2- पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-219/2026/24के-2/22-3-2026-17(1068)/25

दिनांक 01 जुलाई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी घिसनदास साधू पुत्र श्री वीरे लोध, जो ग्राम-साकिन ककरही हा0मु0 रामजानकी मन्दिर लखनापार, थाना-जोगिया उदयपुर, जनपद-सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। तांत्रिक साधना में बलि देने के इरादे से दिनांक 20.10.2010 को बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गड़ासा से मारकर 05 वर्ष के अभिमन्यु की हत्या कर दी तथा शव को नदी में फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-10/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर के आदेश दिनांक 25-07-2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.01.2026 तक 15 वर्ष, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 06 माह, 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 07-01-2026 तक बन्दी की आयु लगभग 51 वर्ष है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आने, संबंधित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की संभावना होने, बंदी अपराधी किस्म का व्यक्ति होने के दृष्टिगत भविष्य में भी अपराध किये जाने की संभावना होने, बगल में नेपाल राष्ट्र होने के कारण बंदी के फरार होने की प्रबल संभावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा में बंदी की समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा 05 वर्षीय अभिमन्यु की हत्या कर शव नदी में फेके जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी घिसनदास साधू (बंदी संख्या-30/2022) पुत्र वीरे लोध को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।